

अल्पकालीन निविदा सूचना

कुमाऊ मण्डल विकास निगम, लोक निर्माण विभाग या अन्य शासकीय विभागों में पंजीकृत निर्माण कार्यों के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त पंजीकृत तथा निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदा निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 24-12-2015 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। जो कि उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों के सम्मुख 3.30 बजे अधिकृत कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 10-12-2015 से दिनांक 23-12-15 तक किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा की शर्तें नीचे दी जा रही हैं :-

क्र०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (13.5% बिक्रीकर सहित)	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Shop side Parkng work at Shopping Complex Haldwani (Distt. Nainital)	रु० 469030.94	रु० 9400.00	रु० (188.00+25.00) रु० 213.00	1 माह	03 माह
2	Earth filling, Interlock tile and brick tile at Car Parking, Haldwani (Distt. Nainital)	रु० 647131.56	रु० 13000.00	रु० (260.00+35.00) रु० 295.00	1 माह	03 माह

शर्तें :- किसी भी कार्यदिवस में निगम मुख्यालय कार्यालय में www.kmvn.gov.in में देखी जा सकती हैं।

1. निविदा केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ रु० 100.00 (सौ रूपये मात्र) का नॉन-ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर हस्ताक्षर युक्त रु० 1.00 के रैवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदा की धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/फिक्स डिपोजिट/कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक (नि०) के नाम पर बन्धक होनी चाहिए।
4. अपूर्ण, सशर्त एवं संदिग्ध निविदा पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा की मात्राएँ घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
7. निविदा के साथ बिक्रीकर एवं आयकर देयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9. अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टॉम्प लगाना आवश्यक है।
10. निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश सं० 983/23-999-11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

11. यदि शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. ठेकेदार को भवन निर्माण का अनुभव होना चाहिये।
13. क्र० सं० 2 से 11 तक के कार्यों में सर्विस टैक्स की देयता होगी। अतः निविदा के साथ सर्विस टैक्स विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सहायक अभियन्ता
अल्मोड़ा

कार्यालय सहायक अभियन्ता कुमाऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, अल्मोड़ा

पत्रांक 8 /15-16 दिनांक 08/12/2015

प्रतिलिपि,

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय को अवलोकनार्थ।
2. समस्त सहायक अभियन्ता कुमाऊ मण्डल विकास निगम चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम को व्यापक प्रचार हेतु।
3. अनुबन्ध पत्रावली हेतु।
4. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. निविदा कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

सहायक अभियन्ता
अल्मोड़ा